इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325] भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 जुलाई 2011—आषाढ़ 15, शक 1933

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2011

क्र. एफ-11-2-2008-चौवन-2.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2011 के द्वारा 12 सदस्यीय मध्यप्रदेश हज समिति का गठन किया गया है, के अनुक्रम में हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 18 (1) (V) के प्रावधान अंतर्गत श्री गुफरान-ए-आजम, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी में सदस्य नियुक्त किया जाता है.

2. हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 18 (1) (VI) के अंतर्गत कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश स्टेज हज कमेटी को समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया जाता है.

क्र. 11-2-2008-चौवन-2.—विभाग के समसंख्यक आदेश दि. 15 जून 2011 के तहत 12 सदस्यीय मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी का गठन किया गया है. हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 22 (2) के तहत कोई व्यक्ति दो कार्यकाल से अधिक, सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं रखेगा. अधिसूचना दिनांक 29 जनवरी 1994 एवं दिनांक 13 मई 2008 के तहत दो कार्यकाल सदस्य रहने के कारण श्री एम. के. नायब, राज्य हज समिति में सदस्यता की पात्रता नहीं रखते हैं. अतः इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 जून 2011 में संशोधन करते हुए, श्री एम. के. नायब को मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी की सदस्यता से पृथक् किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्र. एफ-11-2-2008-चौवन-2.—राज्य शासन द्वारा हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 क्रमांक 35) की धारा 21 (1) के अधीन मध्यप्रदेश स्टेज हज कमेटी के अध्यक्ष पद पर डॉ. सनव्वर पटेल, उज्जैन को नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.